



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272019
CG-DL-E-23042026-272019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1956]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1956]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2029(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य तक दक्षिणी-पूर्वी आजमगढ़ बाईपास तक के भूखंड के निर्माण (चैडीकरण/पेड शोल्डर सहित 2 लेन /4 लेन का बनाना आदि) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के मौजूदा चैनेज कि.मी. 218/800 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मौजूदा चैनेज कि.मी. 247/850 (कुल लम्बाई-कि.मी.14.905) तक दक्षिणी-पूर्वी आजमगढ़ बाई-पास अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिक्रता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य राज्य के आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के मौजूदा चैनेज कि.मी. 218/800 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मौजूदा चैनेज कि.मी. 247/850 (कुल लम्बाई-14.905 कि.मी.) तक दक्षिणी-पूर्वी आजमगढ़ बाई-पास का ईपीसी मोड अन्तर्गत निर्माण के लिए भू-अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: आजमगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: आजमगढ़					
गांव का नाम: तमौली					
1	738	निजी	कृषि	0.0247 (हेक्टेयर)	0.0247
गांव का नाम: जीरकपुर					
2	321	निजी	कृषि	0.0019 (हेक्टेयर)	0.0019
गांव का नाम: मेलनापुर माफी					
3	137	सरकारी	नहर	0.0194 (हेक्टेयर)	0.0194
4	89	सरकारी	नाली	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
5	91	सरकारी	नाली	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
Total					0.0465

[फा. सं. NHAI/11015/ 2023-24/LA/3(a)/Notif/PIU-Azamgarh/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2029(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Govt., after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / Four-laning/Upgradation etc.), maintenance, management and operation of Construction of 4-lane South-East Bypass for Azamgarh City connecting NH-28 at existing Chainage Km. 218/800 to Purvanchal Expressway at existing Chainage Km. 247/850 (Total Length: 14.905 Km.) in the State of Uttar Pradesh on EPC Mode, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Azamgarh, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for Construction of 4-lane South-East Bypass for Azamgarh City connecting NH-28 at existing Chainage Km. 218/800 to Purvanchal Expressway at existing Chainage Km. 247/850 (Total Length: 14.905 Km.) in the State of Uttar Pradesh on EPC Mode

State: UTTAR PRADESH			District: AZAMGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Azamgarh					
Village: Tamauli					
1	738	Private	Agriculture	0.0247 (Hectare)	0.0247
Village: Jirikpur					
2	321	Private	Agriculture	0.0019 (Hectare)	0.0019
Village: Molanapur Mafi					
3	137	Government	Nahar	0.0194 (Hectare)	0.0194
4	89	Government	Naali	0.0004 (Hectare)	0.0004
5	91	Government	Naali	0.0001 (Hectare)	0.0001
Total					0.0465

[F. No. NHAI/11015/ 2023-24/LA/3(a)/Notif/PIU-Azamgarh/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director